न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 31/2024/अपील

विमला देवी पत्नी गोवर्धन लाल जाति जाट निवासी ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हॉल आबाद मोर गली आनन्द नगर सीकर तहसील व जिला सीकर राज.

—अपीलांट्स

बनाम

1. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर डाक बंगला सीकर
2. तहसीलदार तहसील व जिला सीकर

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः—

1. श्री नानूराम बुडानिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.09.2024 प्रकरण संख्या 20/2024 बाबत भूमि ख.न. 819 रकबा 111 मीटर पर अतिक्रमण के संबध मे राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 सपठित धारा 95(7) के अधीन बेदखल करने एवं तावान वसूली आदेश

निर्णय

दिनांकः 15.07.2025

1. अपीलांट विमला देवी की ओर से यह अपील वकील **श्री नानूराम बुडानिया** द्वारा **तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 02.09.2024 प्रकरण संख्या 20/2024 अन्तर्गत धारा 91 सपठित धारा 91(7) राजस्थान भू—राजस्व अधि 1956** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—
   (1) तहसीलदार सीकर ने राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 सपठित धारा 95(7) का एक नोटिस इस आशय का दिया कि भूमि ख.न. 819 मे permanent structure 111 sq mtr मौजूदा पुलिया से दूरी 17.89 mtr में structure कर खसरा नम्बर 819 की सीमा मे 111 वर्गमीटर भूमि पर अवैद्य कब्जा कर निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। इसलिए दिनांक 01.08.2024 से उक्त भूमि को खाली कर दें अन्यथा स्वयं अथवा प्लीडर द्वारा दिनांक 12.08.2024 को 11 बजे पूर्वान्ह हाजिर होवें तथा यह हैतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(2) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि, वैद्य आनन्दीलाल पुत्र गोरधन लाल कौम ब्राह्मण के कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 255/3 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा था, जिसमें से एक भूखण्ड संख्या 7 जो कि 85 X 85 वर्ग फिट का दिनांक 22.11.1960 को पंजीकृत बेचान पत्र के जरिये तुलसी देवी पत्नी नारायण गोदारा निवासी कटराथल को बेचान कर अपने फुट स्टेफ पर काबिज करवा दिया था। उसके बाद तुलसी देवी की मृत्यु होने पर उक्त भूखण्ड जरिये वसीयत उसके पुत्र राजकुमार गोदारा को प्राप्त हो गया था, जिसने एक भूखण्ड दिनांक 04.07.2018 को 40 X 25 फिट कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज एवं दिनांक 29.01.2019 को इस भूखण्ड से लगता हुआ ही 12.6 X 25 कुल क्षेत्रफल 34.72 वर्गगज का अपीलांट को विक्रय कर काबिज करवा दिया था, जिसका अपीलांट/प्रार्थीया ने नगरपरिषद से दिनांक 06.10.2018 को पट्टा प्राप्त कर दिनांक 05.11.2018 को पट्टा का पंजीयन करवा कर दिनांक 18.01.2019 को पट्टा भूमि पर निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर कैनरा बैंक से ऋण प्राप्त कर मकान का निर्माण किया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा अपीलांट के जवाब का अवलोकन किये बिना ही अपीलांट को अतिक्रमी मान कर दिनांक 02.09.2024 को 111 मीटर पर अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखली एवं जुर्माना वसूली का आदेश पारित कर दिया, एवं उक्त भूखण्ड में निर्मित समस्त निर्माण हटा दिया गया।

(4) गै.मु.सड़क का पुराना खसरा नम्बर 255/1/2 रकबा 3 बीघा ही था जिसका हैक्टेयर पैमाने के आधार पर रकबा 0.0759 हैक्टेयर रकबा होता है। लेकिन भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान 0.341 है. रकबा बिना किसी आधार के ही बढ़ा दिया गया। उक्त त्रुटी के बारे मे रेस्पोडेंट को भी अवगत करवा दिया था अपीलाण्ट ने निवेदन भी किया था कि पुरानी सीट से नपती करने पर अपीलांट का पट्टाशुद्धा भूखण्ड नये खसरा नम्बर 819 में कतई नहीं आता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा इस पर गौर नहीं कर निर्णय जैर अपील पारित कर बिना अपीलांट को अपील का अवसर दिये बिना ही अवैद्य रूप से अतिक्रमण मान कर अपीलांट के मकान को तोड़ दिया। तथाकथित अतिक्रमण खसरा नम्बर 819 में बताया गया है जो कि नगरपरिषद सीकर की परिधी में पड़ता है, जिस पर अतिक्रमण के संबध में कार्यवाही

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

करने के लिए धारा 245 नगर पालिका अधिनियम के तहत नगरपरिषद सीकर ही सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय जैर अपील आदेश पारित किये हैं।

(5) अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार को जबाब के साथ समस्त तथ्यों से अवगत करवा दिया था, लेकिन फिर भी पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई विवेचन नही किया गया एवं न ही अपीलांट के जबाब का अवलोकन किया गया। अतिक्रमण के संबंध में कोई जांच किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

(6) मौजूदा पुलिया जो कि ख.न. 819 रकबा 1.10 है. में निर्मित है, जिसमें किस ने, कब–कब अतिक्रमण किया, कोई स्पष्ट नहीं है, वर्तमान खसरा नम्बर में 0. 341 है. भूमि ज्यादा है एवं नक्शा भी पुराने नक्शे के अनुसार नहीं बना हुआ है।

(7) अपीलांट के पास वैद्य रूप से स्वामित्व के दस्तावेज होते हुए भी अपीलांट को अतिक्रमी माना है, जबकी माननीय राज. उच्च न्यायालय ने RLW 2006(1) Raj Page 158, RRD 2002 Page 583, RRD2003 Page 441, RRD2005 Page 231, RRD1974 Page 442 में भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जिसके पास स्वामित्व के दस्तावेज हो उसको अतिक्रमी नहीं माना जा सकता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं कर गलत निर्णय पारित किया है जो जैर अपील निरस्त होने योग्य है।

(8) अपीलांट का प्रश्नगत भूमि पर सद्भाविक कब्जा एवं स्वामित्व के दस्तावेज हैं, ऐसी सूरत में 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत समरी कार्यवाही के जरिये बेदखली का अधिकार अधीनस्थ तहसीलदार सीकर को नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने RLW 1995 Page 117 राजस्थान राज्य बनाम पदमावती में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(9) प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलाण्ट ने दिनांक 12.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में वकालतन हाजिर होकर दिनांक 27.08.2024 को नोटिस का जबाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये। उसके बाद बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पत्रावली को उसी दिन आदेश मे रख लिया एवं पत्रावली में कोई तारीख नहीं दी गई

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर,सीकर

एवं दिनांक 02.09.2024 में निर्णय जैर अपील पारित कर दिया गया। इस निर्णय के बारे मे अपीलांट को बताया ही नहीं एवं पुलिसबल की सहायता से अपीलांट का निर्माण कार्य तोड़ कर लाखों रूपयों का नुकसान कारित कर दिया गया। इसके बाद अपीलांट को निर्णय का पता चला तो दिनांक 07.11.2024 को नकल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 27.11.2024 को तैयार कर इसी दिन अपीलांट को दी गई। तत्पश्चात अपीलांट बुखार से पीड़ित हो गई एवं चलने फिरने में समर्थ होने के कारण अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अविलम्ब ही अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के लिए पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन संलग्न है।

(10) अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 02.09.2024 मामला संख्या 20/2024 को खारिज फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिए नोटिस तलब किया गया।

3. रेस्पो. संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया है, तथा रेस्पो. संख्या 2 की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई है।

रेस्पो. संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) इस विभाग (सा.नि.वि.) द्वारा अपीलांट को दिनांक 25.07.2024 को भू–खण्ड के दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। भूखण्ड के दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 819 में अतिक्रमण न होने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। अतः तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 02.09.2024 को नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये। भू–प्रबन्ध विभाग सीकर द्वारा दिनांक 26.06.2024 व 02.07.2024 को फर्द मौका सीमाज्ञान बाबत संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उक्त भू–खण्ड जिस पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, को खसरा 819 में होना बताया गया है।

(2) तहसीलदार सीकर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी का अवैध कब्जा खसरा नम्बर 819 में था, जो

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

सा.नि.वि. सीकर के नाम दर्ज है। विभाग द्वारा नवलगढ़ पुलिया चौडाईकरण कार्य खसरा नम्बर 819 में ही किया जा रहा है।

(3) सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. सीकर द्वारा आवेदन दिनांक 25.07.2024 को प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट द्वारा भूखण्ड दस्तावेज उपलब्ध करवाने के बाद दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 819 में अतिक्रमण ना होने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। अपीलांट विमला देवी पत्नी गोवर्धन लाल बाका द्वारा दुकान रिद्धी सिद्धी हाउस, भूमि का माप सामने 24.85 फिट क्षेत्रफल 111.87 वर्गमीटर मौजुदा पुलिया से दूरी 17.89 मीटर में स्थायी निर्माण कर खसरा नम्बर 819 की सीमा में 111 वर्गमीटर भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुसार अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 819 में मौके पर किये गये अवैध कब्जे 111 वर्गमीटर क्षेत्रफल को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की गई है।

रेस्पो. संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक टिप्पणी के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर ने अपने पत्रांक 1217 दिनांक 25.07.2024 द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि PWD सीकर के खाते में दर्ज कस्बा सीकर के ख.नं. 819 में वर्तमान नवलगढ़ पुलिया से 17.89 मीटर दूर सड़क सीमा में 111 वर्गमीटर में विमलादेवी पत्नि गोवर्धनलाल जाट निवासी मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल आबाद मोर नगर आनन्द नगर सीकर तहसील व जिला सीकर द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। अब नवलगढ़ पुलिया का विस्तार किया जाना है, अतः विमलादेवी का अतिक्रमण शीघ्र हटाए जाने का निवेदन किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(2) AEN PWD सीकर का आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय में मु.नं. 20/2024 दिनांक 01.08.2024 को दर्ज कर अतिक्रमी बिमलादेवी को एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 सपठित धारा 95(7) के तहत नोटिस जारी कर जवाब पेश करने हेतु लिखा गया। नोटिस विधिवत रूप से तामिल होने पर बिमलादेवी के वकील के द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब देने हेतु समय चाहा गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

जवाब देने हेतु समय दिया गया। बिमलादेवी के वकील द्वारा दिनांक 27.08.2024 को जवाब पेश किया गया।

(3) अतिक्रमी द्वारा दिये गए जवाब का गहनता एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट/अतिक्रमी द्वारा PWD के ख.नं. 819 में अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः इस जवाब से यह सिद्ध नही होता कि अपीलांट का अतिक्रमण ख.नं. 819 से बाहर अवस्थित है। अतः दिनांक 02.09.2024 को बिमलादेवी को PWD के नाम दर्ज कस्बा सीकर के ख.नं. 819 में 111.87 वर्गमीटर में मौजूद पुलिया से 17.89 मीटर दूर सड़क सीमा में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के कारण बेदखल करके तथा 50 रूपये के आर्थिक दण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया गया।

(4) इस न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अतिक्रमी बिमलादेवी ने अपील पेश की है। बिमलादेवी ने अपील में बताया है कि इस भूमि का पुराना खसरा नम्बर 255/3 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा थी, जो आनन्दीलाल पुत्र गोरधनलाल ब्राह्मण के नाम थी। जिसमें से 85 X 85 वर्ग फिट का एक भूखण्ड जरिये पंजीकृत बेचान पत्र के तुलसी देवी पत्नी नारायण गोदारा निवासी कटराथल को बेचान किया गया। तुलसी देवी की मृत्यू के बाद यह भूखण्ड भूमि उसके बेटे राजकुमार को जरिये वसीयत प्राप्त हो गया। जिसमें से राजकुमार ने 111.11 वर्गगज भूमि अपीलांट बिमलादेवी को बेचान कर दी तथा बिमलादेवी ने इस भूमि का नगर परिषद सीकर से पट्टा बनवाकर निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर कैनरा बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया। परन्तु मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 255/3 का नया खसरा नम्बर 818 बना है। परन्तु बिमलादेवी का अतिक्रमण PWD के ख.नं. 819 में अवस्थित होने के कारण विधिवत रूप से सही हटाया गया।

(5) बिमलादेवी के पुराने ख.नं. 255/3 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 818 तथा 820 बने हैं। दस्तावेजों के अनुसार बिमलादेवी द्वारा खरीद की गई भूमि तथा नगर परिषद सीकर द्वारा जारी पट्टा एवं निर्माण स्वीकृति ख.नं. 818 से संबंधित है। जबकि उसका मौका अनुसार वास्तविक कब्जा PWD के ख.नं. 819 में है। कस्बा सीकर के पुराने ख.नं. 255/1/2 का रकबा 3.00 बीघा था। जिसके नए ख.नं. 819 रकबा 1.10 है. बना है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

परन्तु महकमा PWD सीकर, सरकारी डाक बंगला के भी पुराने ख.नं. 255/4 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा थे। जिसके संयुक्त रूप से नये ख.नं 818, 820 कुल किता 2 कुल रकबा 8.53 है. बने है। उक्त दोनों नये ख.नं. 818, 820 के संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार संयुक्त रूप से पुराने रकबे से वृद्धि हुई है। इससे यह प्रमाणित होता है कि नये सैटलमेन्ट में आनन्दी लाल वगैरह की खातेदारी वाले खसरा नम्बर 818, 820 के रकबे में कोई कमी नही हुई है। बिमलादेवी के ख.नं. 819 में अतिक्रमण की जांच हेतु संयुक्त सर्वे टीम द्वारा विधिवत नाप पैमाईश की गई है। इसमें बिमलादेवी का अतिक्रमण पाये जाने के कारण विधिवत रूप से हटाया गया। बिमलादेवी के पास जो दस्तावेज है वो अन्य खसरे से संबंधित है परन्तु उसका वास्तविक कब्जा पीडब्ल्यूडी सीकर के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 819 में होने के कारण अतिक्रमण विधिवत रूप से हटाया गया।

(6) कस्बा सीकर का वर्तमान ख.नं. 819 पीडब्लयूडी के नाम है तथा नगर परिषद के नाम नही है। अतः विभागीय अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए न्यायालय तहसीलदार सक्षम है। इसमें नगर परिषद का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। इस न्यायालय द्वारा अतिक्रमण के संबंध में दो बार पैमाईश की गई है तथा अतिक्रमी द्वारा पेश जवाब पूर्णतः अवलोकन करने के बाद ही विधि संगत निर्णय पारित किया गया है। ख.नं. 819 में बिमलादेवी के अलावा लोगों का भी अतिक्रमण था। इसके संबंध में इस ख.नं. 819 की पूर्णतः विधिवत पैमाईश करने के बाद ही निर्णय पारित किया गया है। अतिक्रमी बिमलादेवी के सारे दस्तावेज कस्बा सीकर के ख.नं. 818 से संबंधित है। जबकि अवैध कब्जा पीडब्लयूडी की भूमि ख.नं. 819 में था। अपीलाण्ट का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया। जबकि उसके द्वारा पेश जवाब का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ही अतिक्रमण हटाने का निर्णय पारित किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(7) अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

4. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन करते हुए निवेदन किया कि, वैद्य आनन्दीलाल पुत्र गोरधन लाल कौम ब्राह्मण के कब्जे काश्त की खातेदारी की कृ

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

षि भूमि पुराना खसरा नम्बर 255/3 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा था, जिसमें से 85X85 वर्ग फिट का एक भूखण्ड दिनांक 22.11.1960 को पंजीकृत बेचान पत्र के जरिये तुलसी देवी पत्नी नारायण गोदारा निवासी कटराथल को बेचान कर दिया था। उसके बाद तुलसी देवी की मृत्यु होने पर उक्त भूखण्ड जरिये वसीयत उसके पुत्र राजकुमार गोदारा को प्राप्त हो गया था, जिसने एक भूखण्ड दिनांक 04.07.2018 को 40X25 फिट कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज एवं दिनांक 29.01.2019 को इस भूखण्ड से लगता हुआ ही 12.6X25 कुल क्षेत्रफल 34.72 वर्गगज का अपीलांट को विक्रय कर काबिज करवा दिया था, जिसका अपीलांट/प्रार्थीया ने नगरपरिषद से दिनांक 06.10.2018 को पट्टा प्राप्त कर दिनांक 05.11.2018 को पट्टा का पंजीयन करवा कर दिनांक 18.01.2019 को पट्टा भूमि पर निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर कैनरा बैंक से ऋण प्राप्त कर मकान का निर्माण किया है। गै.मु.सड़क का पुराना खसरा नम्बर 255/1/2 रकबा 3 बीघा ही था जिसका हैक्टेयर पैमाने के आधार पर रकबा 0.0759 हैक्टेयर रकबा होता है। लेकिन भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान 0.341 हैक्टेयर रकबा बिना किसी आधार के ही बढ़ा दिया गया। उक्त त्रुटी के बारे मे रेस्पोडेंट को भी अवगत करवा दिया था। अपीलांट ने निवेदन भी किया था कि पुरानी सीट से नपती करने पर अपीलांट का पट्टाशुद्धा भूखण्ड नये खसरा नम्बर 819 में कतई नहीं आता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा इस पर गौर नहीं कर निर्णय जैर अपील पारित कर बिना अपीलांट को अपील का अवसर दिये बिना ही अवैद्य रूप से अतिक्रमण मान कर अपीलांट के मकान को तोड़ दिया। तथाकथित अतिक्रमण खसरा नम्बर 819 में बताया गया है जो कि नगरपरिषद सीकर की परिधी में पड़ता है, जिस पर अतिक्रमण के संबध में कार्यवाही करने के लिए धारा 245 नगर पालिका अधिनियम के तहत नगरपरिषद सीकर ही सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय जैर अपील आदेश पारित किये हैं। अतः तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 02.09.2024 निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजात से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं।

(1) अपीलांट द्वारा तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 02.09.2024 को निरस्त किये जाने बाबत अपील पेश की गई है। तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बेदखली आदेश भूमि खसरा नम्बर 819 में किये गये

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

अतिक्रमण से सम्बन्धित है। राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा नम्बर 819 सा.नि.वि. के नाम से दर्ज है।

(2) अपीलांट ने अपनी अपील में स्वयं कथन किया है कि उसका क्रयशुदा भूखण्ड कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 255/3 में अवस्थित था तथा गै.मु.सड़क का पुराना खसरा नम्बर 255/1/2 था।

(3) तहसीलदार सीकर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि पुराने ख. नं. 255/3 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 818 तथा 820 बने हैं। दस्तावेजों के अनुसार बिमलादेवी द्वारा खरीद की गई भूमि तथा नगर परिषद सीकर द्वारा जारी पट्टा एवं निर्माण स्वीकृति ख.नं. 818 से संबंधित है। जबकि उसका मौका अनुसार वास्तविक कब्जा PWD के ख.नं. 819 में है। कस्बा सीकर के पुराने ख.नं. 255/1/2 का रकबा 3.00 बीघा था। जिसके नए ख.नं. 819 रकबा 1.10 हैक्टेयर बना है। परन्तु महकमा PWD सीकर, सरकारी डाक बंगला के भी पुराने ख.नं. 255/4 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा थे। जिसके संयुक्त रूप से नये ख.नं 818, 820 कुल किता 2 कुल रकबा 8.53 है. बने है। उक्त दोनों नये ख.नं. 818, 820 के संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार संयुक्त रूप से पुराने रकबे से वृद्धि हुई है। इससे यह प्रमाणित होता है कि नये सैटलमेन्ट में आनन्दी लाल वगैरह की खातेदारी वाले खसरा नम्बर 818, 820 के रकबे में कोई कमी नही हुई है। बिमलादेवी के ख. नं. 819 में अतिक्रमण की जांच हेतु संयुक्त सर्वे टीम द्वारा विधिवत नाप पैमाईश की गई है। इसमें बिमलादेवी का अतिक्रमण पाये जाने के कारण विधिवत रूप से हटाया गया। बिमलादेवी के पास जो दस्तावेज है वो अन्य खसरे से संबंधित है परन्तु उसका वास्तविक कब्जा पीडब्ल्यूडी सीकर के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 819 में होने के कारण अतिक्रमण विधिवत रूप से हटाया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(4) तहसीलदार सीकर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भूमि खसरा नम्बर 819 पर किये गये अवैध कब्जे के विरूद्ध की गई है। प्रकरण की सुनवायी के दौरान अपीलांट ने उक्त खसरा नम्बर 819 के स्वामित्व सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। पीडब्ल्यूडी सीकर के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 819 की संयुक्त टीम द्वारा पैमाईश करवाई गई। इसमें बिमलादेवी का अतिक्रमण पाये जाने के कारण

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

अतिक्रमण विधिवत रूप से हटाया गया। बिमलादेवी के पास जो दस्तावेज है वो अन्य खसरे से संबंधित है परन्तु उसका वास्तविक कब्जा पीडब्ल्यूडी सीकर के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 819 में होने के कारण अतिक्रमण हटाया गया।

6. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि रेस्पो. द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधिवत रूप से की गई है। अपीलांट को सुनवायी के समुचित अवसर प्रदान किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवायी के दौरान अपीलांट द्वारा उक्त आराजी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 819 के स्वामित्व सम्बन्धित कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अपील की सुनवायी के दौरान भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर की तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के विरूद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही भूमि खसरा नम्बर 819 का स्वामित्व सिद्ध कर पाये हैं। जबकि अपनी अपील में अपीलांट ने स्वयं कथन किया है कि उसका क्रयशुदा भूखण्ड कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 255/3 में अवस्थित था तथा गै.मु.सड़क का पुराना खसरा नम्बर 255/1/2 था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर की मूल पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजात तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्रमाणित है कि पुराने खसरा नम्बर 255/3 के वर्तमान खसरा नम्बर 818 तथा 820 बने हैं तथा पुराने खसरा नम्बर 255/1/2 से नया खसरा नम्बर 819 बना है। अपीलांट के कथनों अनुसार यदि भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान यदि कोई त्रूटि हुई है तो उसके लिए अपीलांट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। मात्र कथनों के आधार पर अपीलांट के कथनों की सत्यता साबित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बेदखली आदेश को बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के नियम विरूद्ध ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक **15.07.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर